

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-9/विविध (विधि)-05-103/2019-09

/पटना, दिनांक-21/8/25

बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2019 के अन्तर्गत राज्य सरकार के सभी वर्गों के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों एवं सेवान्त लाभों की स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण के लिए श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
4. एतद् संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, (मु0)।

ज्ञापांक- 9/विविध (विधि)-05-103/2019-1497

/पटना, दिनांक-21/8/25

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0/कार्य0प्र0)/मुख्य अभियंता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार/रूपां0/याँ0)/संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/अधीक्षण अभियंता (मो0)/उप सचिव/सभी अवर सचिव/विशेष पदाधिकारी/उप सचिव (प्र0को0)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, (मु0)।

ज्ञापांक- 9/विविध (विधि)-05-103/2019-1497

/पटना, दिनांक-21/8/25

प्रतिलिपि:-श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, (मु0)।

ज्ञापांक- 9/विविध (विधि)-05-103/2019-1497

/पटना, दिनांक-21/8/25

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, (मु0)।